राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

C-7-A सुल्तान हाउस सवाई जय सिंह हाईवे बनिपार्क जयपुर 302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

<u>विडियोग्राफी कार्य के लिए प्रस्ताव आमंत्रण प्रपत्र</u>

1. बोलीदाता का नाम ....
2. पूरा पता ....
3. टेलीफोन नम्बर .... मोबाईल नं. .... पैन नं. ....फर्म का GST नं.............................
4. ई–मेल आई.डी. ....
5. बोली आमन्त्रण सूचना संख्या ....
6. विडियोग्राफी कार्य के लिए प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज का विवरण (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
7. आवेदनकर्त्ता का **Address Proof** फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व GST नं. की (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
8. मैं/हम राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर द्वारा जारी बोली आमंत्रण सूचना संख्या .... दिनांक .... के संदर्भ में बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत है। सहमति के रूप में शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अधिकृत व्यक्ति का नाम पता एवं नमुना
10. विडियोग्राफी दर–प्रति निरक्षण–प्रति व्यक्ति रू.................... (शब्दों में ....)
11. शर्ते संलग्न <u>प्रपत्र–अ (शर्ते)</u>

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक
(फर्म/संस्था की स्थिति में मोहर भी लगावे)

विडियोग्राफी कार्य के लिए प्रस्ताव की शर्ते

1- राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा विडियोग्राफी कार्य हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभवी विडियोग्राफर फर्म/व्यक्तियों से बोली आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 18.07.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। बोली खोलने की तिथि 18.07.2024 अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

2- विडियोग्राफी कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी फर्म/व्यक्ति बोली के लिए पात्र होगें।

3- विडियोग्राफी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। जिसके लिए कार्यालय द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को सूचित किये गये समय एवं स्थान पर विडियोग्राफी के लिए अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का विडियो कैमरा उपलब्ध करवाना होगा।

4- प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 01 (एक) एवं अधिकतम 10 (दस) विडियोग्राफर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानें होगें।

5- कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 03 दिवस में वांछित विडियोग्राफर उपलब्ध कराने होगें। यह अवधि घटाने एवं बढाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।

6- विडियोग्राफी कार्य अच्छी गुणवत्ता का होगा जिसकी सी.डी. तैयार करके देनी होगी। विभाग की संतुष्टि के अनुसार होनी आवश्यक है। यदि सी.डी. विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है तो पुनः सी.डी. तैयार करके देनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा देय नहीं होगा। सी.डी. बोलीदाता की होगी।

7- अनुमोदित बोलीदाता के कार्य से विभाग के संतुष्ट नहीं होने की दशा में कभी भी अनुबंध को विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

8- दरें शब्दों एवं अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिन पर कोई काट छाट/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अंको एवं शब्दों में लिखित दरों में अन्तर होने की स्थिति में न्यूनतम दर मान्य होगी।

9- सफल बोलीदाता को इस आशय का पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस में रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। बोंलीदाता कार्यसम्पादन प्रतिभूति 10,000/–रू.(अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) जमा करानी होगी एवं जो कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जावेगी।

10- किसी भी बोली को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।

11- यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हो या उसके विरूद्ध हो तो बोली बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जावेगी।

12- कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्य करने के उपरान्त बिल प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता को समयानुसार (साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक) बिल प्रस्तुत करने होगें।

13- विडियोग्राफी कार्य हेतु एक से अधिक बोलीदाताओं का पैनल बनाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।

14- विडियोग्राफी दरें प्रति निरीक्षण–प्रति व्यक्ति के लिए देनी होगी जिसमें सभी प्रकार के प्रभार (यदि कोई हो तो) शामिल होगें। बोली में अंकित दरों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

15- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का निर्णय अन्तिम होगा।

16- जयपुर से बाहर विडियोग्राफी कार्य के लिए अनुमोदित दर के अतिरिक्त रेल / बस का वास्तविक किराया देय होगा।

17- जयपुर से बाहर रात्रि विश्राम होने पर प्रति रात्रि राशि 300/– रूपये संदत की जावेगी।

18- इस अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य कराने की अधिकतम सीमा 1.90 लाख रूपये होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक
(फर्म / संस्था की स्थिति में मोहर भी लगावें)

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

C-7-A सुल्तान हाउस सवाई जय सिंह हाईवे बनिपार्क जयपुर 302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

विडियोग्राफी हेतु दर विवरण

बोलीदाता का नाम :–

पता :–

फर्म / व्यक्ति का नाम	दर

नोट :– दर अंकों व शब्दों में स्पष्ट अंकित होनी चाहिये।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक
(फर्म / संस्था की स्थिति में मोहर भी लगावे)